# कार्यालय जनपद न्यायाधीश, हरदोई।

**दीवानी न्यायालय परिसर में वर्ष 2022-2023 के लिए नीलाम किये जाने वाले ठेका का विवरणः-**

| क्रम सं0 | ठेका का विवरण | धरोहर धनराशि |
|---|---|---|
| 1 | न्यायालय परिसर में फल,लाई, चना, मूगफली इत्यादि की बिक्री हेतु ठेला लगाये जाने का ठेका | रू0- 10,000.00 |

स्थान दस कक्षीय न्यायालय भवन के सभागार कक्ष में

नीलामी तिथि- 21.03.2022
समय- सायं 4.30 बजे

## नीलाम की शर्तें

1- नीलाम की बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली बोलने से पूर्व ठेके की धरोहर धनराशि रू0 10,000.00 केन्द्रीय नाजिर के पास नकद जमा करनी होगी।

2- अधिकतम बोली बोलने वाले व्यक्ति को बोली स्वीकृत होने की दशा में सम्पूर्ण धनराशि का 50 प्रतिशत धनराशि तुरन्त जमा करनी होगी।

3- ठेका नीलाम की शेष आधी धनराशि 1 माह के अन्दर अर्थात अप्रैल माह 2022 के अंत तक जमा करनी होगी।

4- कोविड-19 के अर्न्तगत शासन एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्देशों का पालन ठेकेदार को करना होगा। उपरोक्त स्थिति में न्यायालय में प्रवेश निषेध अथवा अवकाश घोषित किये जाने के निर्देश जारी होने पर ठेके की धनराशि में कोई छूट नही होगी।

5- ठेका स्वीकार होने पर ठेकेदार को नियमानुसार एक अनुबंध पत्र ठेका धनराशि के 10 प्रतिशत की दर से स्टाम्प पर जिला जज, हरदोई के नाम से निष्पादित करवाना होगा। ठेकेदार द्वारा स्टाम्प पेपर स्वयं क्रय करना होगा। ठेकेदार द्वारा पेपर पर अनुबंध पत्र निष्पादित करवाने से संबंधित व्यय स्वयं वहन करना होगा।

6- ठेला फल, लाई, चना, मूलफली इत्यादि बिक्री हेतु वर्तमान न्यायालय सिविल जज जू0डि0 पश्चिमी एवं हवालात के मध्य रिक्त स्थान पर ठेला रखना होगा।

7- ठेका फल, लाई, चना, मूलफली इत्यादि बिक्री हेतु समस्त सामान की सूची माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय द्वारा अनुमोदित कराकर ही बिक्री हेतु ठेला पर रख सकेगा।

8- ठेका जिस व्यक्ति को दिया जावेगा वह ठेकेदार किसी अन्य व्यक्ति को सिकमी पर ठेका नही उठा सकेगा और न ही वह ठेका किसी अन्य व्यक्ति को मुन्तकिल कर सकेगा।

9- किसी बोली को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को सुरक्षित होगा।

10- ठेका लेने वाला व्यक्ति ठेका वाले स्थान पर स्वयं साफ सफाई रखेगा एवं कूडेदान आदि रखेगा।

आज्ञा से
(हस्ताक्षर) 2-3-2022

दिनांक- 02.03.2022

जनपद न्यायाधीश
हरदोई।